



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 309 राँची, सोमवार, 11 जुलाई, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

5 जुलाई, 2022

अधिसूचना सं.-8/अधि./104/2012/न.वि.आ./2229--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012" में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 (यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन द्वारा नियमों में अंकित शब्द “उप महापौर/उपाध्यक्ष” को विलोपित किया जाता है:-

क्र.	नियमावली के नियम
1	अध्याय-1 के नियम-2 (परिभाषाएँ) के उप नियम-15 (ii)
2	अध्याय-2 के नियम-3(2)
3	अध्याय-4 के नियम-19 के तृतीय पंक्ति
4	अध्याय-4 के नियम-19 (ख) के द्वितीय परन्तुक
5	अध्याय-4 के नियम-19 (ज) के तृतीय पंक्ति
6	अध्याय-4 के नियम-20 के शीर्षक तथा प्रथम पंक्ति
7	अध्याय-4 के नियम-20 (ख)
8	अध्याय-7 के नियम-38(1)(I)
9	अध्याय-7 के नियम-41(7) के द्वितीय पंक्ति
10	अध्याय-7 के नियम-43(1)
11	अध्याय-10 के नियम-75(7) के उपान्त्य पंक्ति
12	अध्याय-10 के नियम-84 के तृतीय पंक्ति
13	अध्याय-11 के नियम-103(2) के द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति
14	अध्याय-11 के नियम-104 के द्वितीय पंक्ति
15	अध्याय-11 के नियम-105 के द्वितीय पंक्ति

3. नियमावली के अध्याय-7 के नियम-41 (7) के तृतीय पंक्ति में शब्द ‘तथा प्रपत्र 7 (ग)’ को विलोपित किया जाता है।
4. नियमावली के अध्याय-7 के नियम-43 (1) के तृतीय पंक्ति में शब्द ‘क्रमशः प्रपत्र-9(क) एवं प्रपत्र 9(ख)’ के स्थान पर ‘प्रपत्र-9’ प्रतिस्थापित किया जाता है।
5. नियमावली के अध्याय-7 के नियम-43 (क) को विलोपित किया जाता है।
6. नियमावली के अध्याय-7 के नियम-44 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-निर्वाचन प्रतीक:-

जहाँ मतदान आवश्यक हो वहाँ निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को नियत तिथि, समय एवं पूर्व निर्धारित स्थान पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन निर्धारित प्रतीकों में से एक प्रतीक नियम-43 में उल्लिखित मान्य अभ्यर्थियों को आवंटित करेगा एवं प्रपत्र-9 में प्रकाशित करेगा।

7. नियमावली के अध्याय-10 के नियम-84 के द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द 'तीनों' को शब्द 'दोनों' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
8. नियमावली के निम्नांकित प्रपत्रों में अंकित शब्द 'उप महापौर/ उपाध्यक्ष' को विलोपित किया जाता है:-

क्र.	प्रपत्रों की सूची
1	प्रपत्र-5 (निर्वाचन की सूचना) के तृतीय पंक्ति एवं कंडिका-क में
2	प्रपत्र-6 (नाम निर्देशन पत्र) के तृतीय पंक्ति में
3	प्रपत्र-7 (नाम निर्देशन की आम सूचना) के तृतीय पंक्ति में
4	प्रपत्र-7(ख) (विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची) के तृतीय पंक्ति में
5	प्रपत्र-8 (अभ्यर्थिता वापस ली जाने की सूचना) के तृतीय पंक्ति में
6	प्रपत्र-8(क) के तृतीय पंक्ति में
7	प्रपत्र-10 (निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति) के तृतीय पंक्ति में
8	प्रपत्र-11 (मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति) के तृतीय पंक्ति में
9	प्रपत्र-12 (गणन अभिकर्ता की नियुक्ति) के तृतीय पंक्ति में
10	प्रपत्र-13 (निर्विरोध निर्वाचन) के तृतीय एवं षष्ठ पंक्ति में
11	प्रपत्र-14 (अभ्याक्षेपित मतों की सूची) के तृतीय पंक्ति में
12	प्रपत्र-15 (दृष्टिहीन/विकलांग/शिथिलांग मतदाताओं की सूची) के तृतीय पंक्ति में
13	प्रपत्र-16 (निविदत मतों की सूची) के तृतीय पंक्ति में
14	प्रपत्र-17 (मतपत्र लेखा) के तृतीय पंक्ति में
15	प्रपत्र-18 (पेपर सील लेखा) के तृतीय पंक्ति में
16	प्रपत्र-19 (निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र भाग-1) के तृतीय पंक्ति में
17	प्रपत्र-19 (क) (निर्वाचन के मतों की गणना का चक्रवार परिणाम पत्र भाग-1) के तृतीय पंक्ति में

18	प्रपत्र-19 (निर्वाचन की मतों की गणना का परिणाम पत्र भाग-2) के तृतीय पंक्ति में
19	प्रपत्र-19 (क) (निर्वाचन के मतों की गणना का अंतिम परिणाम पत्र भाग-2) के तृतीय पंक्ति में
20	प्रपत्र-21 (निर्वाचन परिणाम की विवरणी) के प्रथम पंक्ति में
21	प्रपत्र-21 (क) (निर्वाचन परिणाम की विवरणी) के प्रथम पंक्ति में
22	प्रपत्र-25 (नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची) के पंचम पंक्ति में
23	प्रपत्र-26 (अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का पहचान पत्र) के द्वितीय पंक्ति में
24	प्रपत्र-31 के द्वितीय पंक्ति में
25	प्रपत्र-32 (पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी का नियुक्ति आदेश) के प्रथम पंक्ति में
26	प्रपत्र-33 (पीठासीन पदाधिकारी की डायरी) के शीर्षक में तथा उक्त प्रपत्र की कंडिका-7 एवं 8 में

9. नियमावली के प्रपत्र-6 की कंडिका-(ड.) एवं (च) को विलोपित किया जाता है।

10. नियमावली के निम्नांकित प्रपत्र को संशोधित रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र.	प्रपत्र	संशोधन
1	प्रपत्र-7(क)	संशोधित प्रपत्र-7(क) प्रतिस्थापित।
2	प्रपत्र-7(ख) प्रपत्र-7(ग)	प्रपत्र-7(ग) को विलोपित कर संशोधित प्रपत्र-7(ख) प्रतिस्थापित।
3	प्रपत्र-9 प्रपत्र-9(क) प्रपत्र-9(ख)	प्रपत्र-9(क) एवं प्रपत्र-9(ख) को विलोपित कर संशोधित प्रपत्र-9 प्रतिस्थापित।
4	प्रपत्र-15(क)	संशोधित प्रपत्र-15(क) प्रतिस्थापित।
5	प्रपत्र-17(क) भाग-1	संशोधित प्रपत्र-17(क) भाग-1 (रिकॉर्ड किये गये मतों एवं पेपरसील का लेखा) प्रतिस्थापित।
6	प्रपत्र-17(क) भाग-2	संशोधित प्रपत्र-17(क) भाग-2 (मतगणना का परिणाम) प्रतिस्थापित।

7	प्रपत्र-22(ख)	संशोधित प्रपत्र-22 (ख) प्रतिस्थापित ।
8	प्रपत्र-23 (ख)	संशोधित प्रपत्र-23 (ख) प्रतिस्थापित ।
9	प्रपत्र-24	संशोधित प्रपत्र-24 के साथ शपथ पत्र प्रतिस्थापित ।
10	प्रपत्र-33(क)	संशोधित प्रपत्र-33 (क) प्रतिस्थापित ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र-7(क)
(नियम-37(4) देखिए)

नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक प्राप्त नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की समेकित सूची

जिला:..... शहरी स्थानीय निकाय.....
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से..... वार्ड पार्षद/सदस्य
*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से..... *महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

क्रम संख्या	नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4	5	6

अभ्यर्थी की कोटि पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनारक्षित	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक	प्रस्तावक का नाम	मतदाता सूची में प्रस्तावक का क्रमांक	समर्थक का नाम	मतदाता सूची में समर्थक का क्रमांक	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12	13

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान:-.....
तिथि:-.....

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

29/6

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र-7(ख)
(नियम-41(7) देखिए)

विधिमाम्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची
(वार्ड पार्षद/सदस्य/महापौर/अध्यक्ष के लिए)

जिला:..... शहरी स्थानीय निकाय:.....
*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या:..... से..... वार्ड पार्षद/सदस्य
* निर्वाचन क्षेत्र संख्या:..... से..... *महापौर/*अध्यक्ष के लिए
निर्वाचन 20.....

क्रम संख्या	नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4	5	6

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान-

तिथि-

निर्वाची पदाधिकारी

(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नोट:- अभ्यर्थियों की सूची देवनागरी वर्णानुक्रम में अंकित की जाएगी।

10/6

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकायप्रपत्र-9
(नियम-43 एवं 44 देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला:..... शहरी स्थानीय निकाय:.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या:..... से..... वार्ड पार्षद/सदस्य

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या से *महापौर/*अध्यक्ष के लिए
निर्वाचन 20.....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित निर्वाचन प्रतीक
1	2	3	4	5

*जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान-

तिथि-

निर्वाची पदाधिकारी

(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

नोट:- अभ्यर्थियों की सूची देवनागरी वर्णानुक्रम में अंकित की जाएगी।

29/6

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र-15(क)
(नियम-81 देखिये)

दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा

.....नगरपालिका के वार्ड संख्या से महापौर/अध्यक्ष/वार्ड
पार्षद के लिए निर्वाचन
मतदान केन्द्र संख्या
स्थान

मैं एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं
(मतदाता का नाम) के सहयोगी के रूप में उसकी तरफ से दिये गये मत को गुप्त रखूँगा/रखूँगी तथा मैंने
किसी मतदान केन्द्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

सहयोगी का हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर

स्थान

तारीख

29/6

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकायप्रपत्र-17(क)
(नियम-84 देखिये)

भाग-1

रिकार्ड किए गए मतों एवं पेपरसील का लेखा

जिला..... शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से..... वार्ड पार्षद/सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से..... *महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम

मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए वोटिंग मशीन की पहचान संख्या

मतदान यूनिट संख्या.....

नियंत्रण यूनिट संख्या.....

1. मतदान केन्द्र पर निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या
2. मतदातापंजी में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या
3. मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. मत देने से निषिद्ध मतदाताओं की संख्या
5. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या
6. क्या कड़िका 5 में मतों की जो संख्या अंकित है वह कड़िका 2 के मतों से कड़िका 3 एवं कड़िका 4 के मतों को घटाने से $[2-(3+4)=5]$ गेल खाता है या कोई त्रुटि परिलक्षित होता है?
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत्त मतपत्र निर्गत किए गए
8. (क) प्राप्त निविदत्त मत पत्रों की कुल संख्या कम सं०..... से..... तक
(ख) मतदाताओं को निर्गत निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या कम सं०..... से..... तक
(ग) उपयोग में नहीं लाए गए तथा वापस लौटाए गए निविदत्तमतपत्रों की कुल संख्या कम सं०..... से..... तक
9. पेपर सील का लेखा
(क) प्राप्त पेपर सील की कुल संख्या कम सं०..... से..... तक
(ख) व्यवहृत पेपर सील की कुल संख्या

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

तिथि..... पीठासीन पदाधिकारी
स्थान..... (नाम व हस्ताक्षर)

नोट- (1) सभी पदों के लिए अलग-अलग, दो-दो प्रतियाँ भेजी जाएंगी।
(2) मद 8 में पद विशेष के लिए प्रयुक्त प्रपत्र में उस पद के लिए निविदत्त मतपत्रों का लेखा तैयार किया जाएगा।
(3) मद 9(ग) में पद विशेष के लिए प्रयुक्त प्रपत्र में उस पद के लिए उपयोग में लाए गए पेपरसील की कम संख्या अंकित किया जाएगा।

मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम (संक्षिप्त नाम स्वीकार नहीं करें, जैसे जय प्रकाश शर्मा के स्थान पर जे०पी०शर्मा)

1..... 2.....
3..... 4.....
5..... 6.....

प्रपत्र-17(क)
(नियम-99(2) देखिए)

भाग- 2
मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
-		
-		
-		
X	उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)	
	कुल योग	

क्या उपर दर्शित मतों की कुल संख्या प्रपत्र 17(क) भाग-1 में मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाती है या उनके दोनों योगों में कोई अंतर दर्शित होता है।

हाँ, मेल खाता है।

स्थान :
तिथि :
समय :

गणन पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम :

उपस्थित अभ्यर्थी/ निर्वाचन अधिकर्ता/ गणना अधिकर्ता द्वारा निम्न प्रपत्र में हस्ताक्षर करने में पूरा नाम लिखा जाएगा, संक्षिप्त नहीं :-

क्रम संख्या	अभ्यर्थी/निर्वाचन अधिकर्ता/गणन अधिकर्ता का पूरा नाम	पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान :
तिथि :
समय :

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम :

11/7

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र-19(क)
(नियम-99(2)(ग) देखिये)

भाग - 1

निर्वाचन के मतों की गणना का चक्रवार परिणाम पत्र

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

टैबुल संख्या		चक्र संख्या
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमाम्य मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
.		
.		
x	उपर्युक्त में से कोई नहीं(NOTA)	
कुल योग :-		

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(क) रिकार्ड किए गये मतों की कुल संख्या-

(ख) 'उपर्युक्त में से कोई नहीं'(NOTA)मतों की कुल संख्या-

(ग) विधिमाम्य मतों की कुल संख्या (क-ख)

मतगणना का स्थान :-

तिथि :-

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

25/6

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकायप्रपत्र-19(क)
(नियम-99(2)(ग) देखिये)भाग - 2
निर्वाचन के मतों की गणना का अंतिम परिणाम पत्र

जिला:.....शहरी स्थानीय निकाय.....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....वार्ड पार्षद/सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....से.....*महापौर/*अध्यक्ष के लिए निर्वाचन 20.....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमाम्य मतों की संख्या								
		प्रथम चक्र	द्वितीय चक्र	तृतीय चक्र	चतुर्थ चक्र	पंचम चक्र	षष्ठम चक्र	सप्तम चक्र	अष्टम चक्र	कुल योग
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
-										
-										
-										
x	उपर्युक्त में से कोई नहीं(NOTA)									
	योग :-									

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

(क) रिकार्ड किए गये मतों की कुल संख्या-

(ख) "उपर्युक्त में से कोई नहीं" (NOTA) मतों की कुल संख्या-

(ग) विधिमाम्य मतों की कुल संख्या-

मतगणना का स्थान :-
तिथि :-निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

29/6

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र-22(ख)
(नियम-49 एवं 104 देखिये)

निर्वाचन प्रमाण-पत्र
(*महापौर/*अध्यक्ष के लिए)

मैं निर्वाची पदाधिकारी एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने
दिनांक माह वर्ष को श्री/सुश्री/श्रीमती जो
श्री/सुश्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं और जो मोहल्ला वार्ड सं०
पोस्ट थाना शहर जिला के निवासी हैं, को
..... (पद लिखें) के रूप में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (संख्या/नाम
लिखें) से जो * (आरक्षण कोटि लिखें) के लिए आरक्षित है/*अनारक्षित है, सम्यक रूपेण
..... (सविरोध/निर्विरोध) निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन
प्रमाण-पत्र दिया है।

स्थान:-
तिथि :-

निर्वाची पदाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

21/7

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र-23(क)
(नियम-105 देखिये)

निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन
(वार्ड पार्षद/सदस्य के लिए)

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 105 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में नामित व्यक्ति स्तंभ (2) में अंकित पद पर स्तंभ (5) में वर्णित शहरी स्थानीय निकाय के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गया है-

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			शहरी स्थानीय निकाय जिससे पद संबंधित है (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम सहित)
	पद	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला/ अन्य	
1	2	3	4	5

स्थान-
तिथि-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-
जिला दण्डाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

- टिप्पणी- (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तंभ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाए, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाए।
- (2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तंभ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाए। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।

28/6

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र-23(ख)
(नियम-105 देखिये)

निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन
(महापौर/अध्यक्ष के लिए)

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 105 के अनुसरण में मैं एतद्वारा यह अधिसूचित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में नामित व्यक्ति स्तंभ (2) में अंकित पद पर स्तंभ (5) में वर्णित शहरी स्थानीय निकाय के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गया है-

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			शहरी स्थानीय निकाय जिससे पद संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या / नाम सहित)
	पद	आरक्षित / अनारक्षित	महिला / अन्य	
1	2	3	4	5

स्थान-
तिथि-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) -सह-
जिला दण्डाधिकारी
(नाम, हस्ताक्षर व मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें।

- टिप्पणी- (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तंभ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाए, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाए।
- (2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तंभ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाए। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाए।

11/7

प्रपत्र-24
(संशोधित प्रारूप)
(नियम-39 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष
प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

यहाँ हाल का खीचा हुआ
पासपोर्ट साईज फोटो
चिपकाएँ

मैं _____ पिता/पति _____ उम्र _____ वर्ष _____
नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या _____ मुहल्ला _____
पोस्ट _____ थाना _____ जिला _____ झारखण्ड का निवासी हूँ तथा उपरोक्त
निर्वाचन में सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से शपथ लेता हूँ कि :-

1. **क) मैं _____ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या _____ से वार्ड पार्षद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ।
**ख) मैं _____ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के **महापौर/ **अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ।
(**जो लागू न हो काट दें)
2. मेरा नाम नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत _____ के वार्ड संख्या _____ अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या _____ की मतदाता सूची के क्रमांक _____ पर दर्ज है तथा इसके अलावे नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है। यह भी कि राज्य या राज्य के बाहर के अन्य किसी नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
3. मेरा सम्पर्क दूरभाष नम्बर _____ है, तथा ईमेल आईडी (यदि कोई हो तो) _____ है, और मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो तो) (i) _____ (ii) _____ (iii) _____
4. Permanent Account Number (PAN) तथा Income Tax दाखिल करने की स्थिति निम्नवत् है :

क्रम संख्या	नाम	PAN	वित्तीय वर्ष जिसमें अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है।	आयकर रिटर्न में दिखाया गया कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं			
2	पति/पत्नी			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

5. अपराधिक मामलों का विवरण :
मैं किसी अपराध के लिए आरोपित हूँ/आरोपित नहीं हूँ जिसमें दो साल या अधिक का कारावास का प्रावधान है तथा मुकदमा/मुकदमें लम्बित हैं जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप गठित किया जा चुका है, यदि शपथकर्ता ऐसे किसी अपराध का दोषी है तो वह निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा :

- (i) मेरे विरुद्ध निम्नांकित मामले लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा सक्षम न्यायालय में मेरे विरुद्ध आरोप गठित हो चुका है :

A	प्राथमिकी संख्या (थाना, जिला, राज्य का नाम एवं पूर्ण व्यौरा)	
B	संबंधित अधिनियम की धारा जिसके तहत आरोपित है, का संक्षिप्त व्यौरा	

C	न्यायालय का नाम, केस नम्बर तथा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की तिथि	
D	न्यायालय का नाम जहाँ आरोप गठित हुआ है	
E	आरोप गठित होने की तिथि / तिथियाँ	
F	क्या किसी रक्षक न्यायालय ने सभी या किसी कार्यवाही को stay करने का आदेश दिया है।	

(ii) निम्नांकित मामला / मामले मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है (उपर अंकित कण्डिका (i) को छोड़कर)

A	न्यायालय का नाम, केस नम्बर तथा संज्ञान लेने की तिथि	
B	उन अधिनियमों, धाराओं तथा आरोपों का पूर्ण व्यौरा जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है	
C	अपील या रीविजन की तिथि, यदि उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है	
D	क्या अपील या रीविजन के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया है	
E	यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि	

(iii) क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः माह से अधिक की अवधि के लिए कभी कारावास या अर्थ दण्ड से दंडित किए गए हैं।

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :

A	न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दण्डित किए गए हैं	
B	दण्डित किए जाने की तिथि तथा केस नम्बर	
C	किए गए अपराध की प्रकृति (अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)	
D	दिया गया दण्ड	
E	कारावास में रहने की अवधि (यदि कोई हो तो)	
F	कारावास से मुक्त होने की तिथि	

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील / रीविजन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है या नहीं :

A	अपील संख्या / रीविजन संख्या का विवरण	
B	न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील / रीविजन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है	
C	क्या दाखिल अपील / रीविजन पत्र निष्पादित हो चुका है या लम्बित है	
D	यदि निष्पादित है तो निष्पादन की तिथि तथा पारित आदेश का संक्षिप्त व्यौरा	
E	क्या अपील / रीविजन के विवरण के दौरान कोई जमानत दिया गया	
F	यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि	

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किए गए हैं, यदि हाँ तो निम्न व्यौरा दें :-

A	न्यायालय जिसके द्वारा दोष मुक्त किए गए हैं	
B	आरोप की प्रकृति एवं केस नम्बर (अधिनियम एवं धारा का उल्लेख करें)	

(घ) क्या देश के भीतर किसी राजनीतिक पराध से भिन्न किसी अपराध के लिए न्यायालय ने IPC या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोई आदेश पारित किया है, यदि हाँ तो निम्न व्यौरा दें :-

A	क्या Cr.P.C. की धारा 109 या धारा 110 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए बंध पत्र देने का आदेश दिया गया है	
B	यदि हाँ, तो केस नम्बर एवं तिथि तथा न्यायालय का नाम	
C	क्या ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट तो नहीं दिया गया है	
D	क्या किसी अपराधिक वाद का अभियुक्त होने के कारण छः माह से अधिक समय से फरार है	

29/6

6. चल परिसम्पत्ति का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा।
- नोट : 2 यदि कोई धन जमा है या निवेश किया गया है तो उसका पूर्ण व्यौरा जिसमें कम संख्या, कुल राशि, जमा करने की तिथि, स्कीम का नाम, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का नाम एवं उसके ब्रांच का नाम का उल्लेख किया जाएगा।
- नोट : 3 स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कम्पनी या गैर सूचीबद्ध कम्पनी का यदि कोई बॉन्ड या शेयर/डिबेन्चर खरीदा गया है तो स्टॉक एक्सचेंज की अद्यतन बाजार मूल्य को बताना होगा तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में खातों के अनुसार बताना होगा।
- नोट : 4 आश्रितों से आशय वही है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75A के Explanation (V) में वर्णित है।
- नोट : 5 प्रत्येक निवेश के संबंध में उसकी राशि सहित अलग अलग तथा पूर्ण व्यौरा दिया जाना है।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	नकद					
ii	बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर वित्तीय संस्थानों में जमा धन राशि का व्यौरा (FDR, STDR, आवसी जमा में, बचत खाता में आदि)					
iii	निवेश का व्यौरा (बॉन्ड, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फंड तथा अन्य आदि)					
iv	अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश जैसे N.S.S., Postal Saving, बीमा पॉलीसी, तथा अन्य इसी प्रकार का निवेश					
v	Personal Loan या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान या ट्रस्ट या सोसाइटी को दिया गया लोन जो बाद में उससे प्राप्त किया जाना है तथा उसकी राशि					
vi	मोटर वाहन/वायुयान, पानी जहाज या नाव (कम्पनी, मॉडल, निबंधन संख्या, खरीदने का वर्ष तथा उसका मूल्य आदि)					
vii	गहने, बुलियन तथा अन्य रत्न (भार तथा अद्यतन बाजार मूल्य)					
viii	अन्य परिसम्पत्तियाँ जैसे दावे (claims) की कीमत/ ब्याज आदि।					
ix	Gross कुल मूल्य					

7. अचल परिसम्पत्तियों का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए।
- नोट : 2 प्रत्येक भूमि, भवन, अपार्टमेंट, प्लॉट आदि का व्यौरा अलग-अलग दिया जाए।

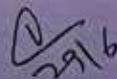
क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	कृषि भूमि, उसकी अवस्थिति तथा खाता, प्लॉट नम्बर					
	कुल रकबा (एकड़ में)					
	क्या पुरतनी सम्पत्ति है या स्वयं खरीदा गया है।					
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तारीख					

	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद के समय उसका मूल्य					
	उस जमीन पर कोई निवेश जैसे निर्माण आदि					
	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
ii	गैर कृषि भूमि, अवस्थिति, खाता-प्लॉट नम्बर					
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)					
	क्या पुरतनी सम्पत्ति है या स्वयं खरीदा गया है।					
	स्वयं खरीदा गया है तो खरीदने की तारीख					
	खरीद के समय उसका मूल्य					
	उस जमीन पर कोई निवेश जैसे निर्माण आदि					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
iii	व्यवसायिक भवन (अपार्टमेन्ट, फ्लैट तथा उसकी अवस्थिति)					
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)					
	Built-up Area का रकबा (स्क्वायर फीट में)					
	क्या पुरतनी परिसम्पत्ति है					
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तिथि					
	खरीद के समय परिसम्पत्ति का मूल्य					
	उस परिसम्पत्ति को विकसित करने में कोई निवेश					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
iv	भवन (अपार्टमेन्ट, फ्लैट आदि तथा उसकी अवस्थिति एवं खाता-प्लॉट नम्बर					

8. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों / बकाया

नोट: कृपया प्रत्येक बैंक, वित्तीय संस्थान, व्यक्तिगत देनदारी तथा सन्निहित राशि का अलग-अलग व्यौरा दें :

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण (बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, ऋण की प्रकृति तथा ऋण की कुल राशि)					
	अन्य व्यक्तियों या संस्थानों की देनदारी (नाम, ऋण का प्रकृति तथा कुल राशि)					
	कोई अन्य देनदारी					
	उपरी देनदारी/ऋण की कुल राशि					
ii	सरकारी देयता आवास के लिए देयता तथा विभाग का नाम					



	जलापूर्ति के लिए देयता तथा विभाग का नाम					
	बिजली के लिए देयता तथा विभाग का नाम					
	परिवहन/वाहन के लिए देयता तथा विभाग का नाम					
	आयकर देयता					
	सम्पत्ति कर देयता					
	सेवाकर देयता					
	नगरपालिका के कर की देयता					
	बिंकी कर की देयता					
	कोई अन्य देयता					
	सभी प्रकार की सरकारी देयता की कुल राशि					
	कोई अन्य देयता जिसमें विवाद हो (पूरी राशि तथा प्राधिकारी का नाम जहाँ विवाद लम्बित है)					

9. पेशा एवं व्यवसाय का पूर्ण व्यौरा :

(क) स्वयं.....

(ख) पति/पत्नी.....

10. आय के स्रोत/स्रोतों का ब्यौरा :

(क) स्वयं.....

(ख) पति/पत्नी.....

11. शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नलिखित हैं :-

.....

(नोट - स्कूल/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, डिप्लोमा/डिग्री/कोर्स का नाम जिस वर्ष वह कोर्स पूरा किया गया था उसका भी पूरा नाम लिखें।)

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैं किसी भी मामले में सजायापता नहीं हूँ और न ही कोई मामला मेरे विरुद्ध लम्बित है सिवाय कण्डिका 5 के।

(ख) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों के ऊपर कोई भी देनदारी या देयता या ऋण नहीं है सिवाय कण्डिका 7 के।

(ग) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों का पास और कोई परिसम्पत्ति नहीं है सिवाय कण्डिका-8 के।

वर्ष..... 20..... के दिन को स्थान पर सत्यापित किया।

अभिसाक्षी

नोट 1 : शपथ पत्रनाम निर्देशन दाखिल करने के अतिरिक्त 300 बज्ज अपराहन तक दाखिल किया जाना है।

नोट 2 : शपथ पत्र पर शपथ कनिश्चन या प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लिया जाना है।

नोट 3 : सभी कॉलम भरे हुए होने चाहिए तथा कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। यदि किसी मद में अंकित करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो उसका कॉलम में यथास्थिति 'शून्य' या 'संग' नहीं लिखा जाना चाहिए।

नोट 4 : कण्डिका-3 में अपने सोशल मीडिया खाता/खातों, यथा-वीकपीडिया, ट्वीटर, फेसबुक, एप्स (apps), यू-ट्यूब इत्यादि का ब्यौरा दिया जाना है।

नगरपालिका निर्वाचन
शहरी स्थानीय निकाय
(EVM के संदर्भ में)

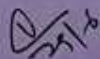
प्रपत्र-33 (क)
(नियम 88 देखिए)
पीठासीन पदाधिकारी की डायरी

जिला.....

शहरी स्थानीय निकाय का नाम.....

शहरी स्थानीय निकाय के *महापौर/ *अध्यक्ष/ *वार्ड पार्षद/सदस्य का निर्वाचन

1. मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या
2. मतदान की तिथि
3. मतदान केन्द्र क्या यह
 - (1) सरकारी या अर्धसरकारी भवन
 - (2) निजी भवन
 - (3) चलत संरचना में अवस्थित है
4. स्थानीय रूप से भरती किए गए मतदान पदाधिकारियों की संख्या यदि कोई हो:
5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान पदाधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति का कारण :
6. वोटिंग मशीन
 - (1) प्रयुक्तकंट्रोल यूनिट की संख्या
 - (2) प्रयुक्तकंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या (i) महापौर/अध्यक्ष.....
(ii) वार्ड पार्षद/सदस्य.....
 - (3) प्रयुक्तबैलेट यूनिट की संख्या
 - (4) प्रयुक्तबैलेट यूनिट की क्रम संख्या (i) महापौर/अध्यक्ष.....
(ii) वार्ड पार्षद/सदस्य.....
7. पेपर सील
 - (1) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या
 - (2) प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्या (i) महापौर/अध्यक्ष.....
(ii) वार्ड पार्षद/सदस्य.....
8. स्पेशल टैग
 - (1) आपूर्ति स्पेशल टैगों की संख्या
 - (2) आपूर्ति स्पेशल टैगों की क्रम संख्या
 - (3) प्रयुक्त स्पेशल टैगों की संख्या (i) महापौर/अध्यक्ष.....
(ii) वार्ड पार्षद/सदस्य.....
 - (4) प्रयुक्त स्पेशल टैगों की क्रम संख्या
 - (5) वापस किए गए अप्रयुक्त स्पेशल टैगों की क्रम संख्या
9. स्ट्रीप सील
 - (1) आपूर्ति स्ट्रीप सीलों की संख्या



- (2) आपूरित स्ट्रीप सीलों की क्रम संख्या
- (3) प्रयुक्त स्ट्रीप सीलों की संख्या
- (4) प्रयुक्त स्ट्रीप सीलों की क्रम संख्या (i) महापौर/अध्यक्ष.....
- (ii) वार्ड पार्षद/सदस्य.....
- (5) वापस किए गए अप्रयुक्त स्ट्रीप सीलों की क्रम संख्या
10. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या
11. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं
12. (1) मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या
- (2) निर्वाचन नामावली की विहित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या
- (3) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत दिया है
- (4) वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या

प्रथम मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी
मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर

13. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए
- (क) पुरुष
- (ख) महिला
- (ग) कुल योग
14. चुनौती दिए गए मत (अभ्याक्षेपित मत)
- (क) स्वीकृत किए गए की संख्या
- (ख) अस्वीकृत किए गए की संख्या
- (ग) जब की गई राशि
15. उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साधियों की सहायता से मत दिए
16. निविदित मतों की संख्या
17. निर्वाचकों की संख्या
- (क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई हो
- (ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया हो
18. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन का कारण
19. डाले गए मतों की संख्या
- 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक
- 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक
- 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक
- 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक
- 3 बजे अपराह्न से 4 बजे या 5 बजे अपराह्न तक
20. मतदान समाप्त होने के समय पर निर्गत पर्चियों की संख्या
21. ब्यौरे सहित निर्वाचन अपराध मामलों की संख्या
- (क) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर के भीतर मत याचना
- (ख) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना
- (ग) मतदान केन्द्र पर किसी नोटिस की सूची या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करना, विनष्ट कराया या हटाना
- (घ) मतदाताओं को रिश्वत देना

02/16

- (ड.) मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों का Intimidation.....
- (च) दूथ कब्जा.....
22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई:
- (1) बवाल
- (2) खुली हिंसा
- (3) प्राकृतिक आपदा
- (4) दूथ पर कब्जा
- (5) मतदान मशीन की विफलता
- (6) अन्य कोई कारण
- (पूर्ण ब्यौरा दें)
23. क्या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किसी भी मतदान मशीन को:
- (क) पीठासीन पदाधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर,
- (ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके
- (ग) नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया
- कृपया ब्यौरा दें।
24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, यदि कोई हों.....
25. विधि एवं व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या
26. मतदान केन्द्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो:
27. क्या आपने मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच यदि किसी नई वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो, घोषणाएं की हैं।
- स्थान-
तिथि-
- पीठासीन पदाधिकारी
(नाम व हस्ताक्षर)

25/6